-प्रेस नोट-

दिनांक: **03.06.2024**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 02.06.2024 को वादिया ने थाना देवबन्द पर उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त वाजिद पुत्र फुरकान निवासी ग्राम राजूपुर थाना देवबन्द सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 06 वर्ष को बहला फुसलाकर जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 285/2024 धारा 376(2)(J)(L)(M) भादवि व 5(K)(M)/6 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में देवबन्द पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 03.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **वाजिद पुत्र फुरकान निवासी ग्राम राजूपुर थाना देवबन्द सहारनपुर** को जंगल ग्राम राजुपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

वाजिद पुत्र फुरकान निवासी ग्राम राजूपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्र0नि0 संजीव कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 मनाजिर हुसैन थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
3. उ0नि0 खूब सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
4. उ0नि0 आरिफ अली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
5. का0 1646 दीपक कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
6. म0का0 680 प्रीति यादव थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
7. म0का0 73 शिवानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 03.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 48 पव्वे देशी शराब उत्तराखण्ड मार्का बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, अवैध मादक पदार्थ / शराब की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे एवं थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 03.06.2024 को थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त अब्दुल समद पुत्र शमशाद निवासी ग्राम सतपुरा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर** को ग्राम सतपुरा मे पटाखा फैक्ट्री वाले तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **48 पव्वे देशी शराब माल्टा उत्तराखण्ड मार्का** बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना बिहारीगढ पर **मु0अ0सं0 88/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अब्दुल समद पुत्र शमशाद निवासी ग्राम सतपुरा थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- 48 पव्वे रसीला माल्टा उत्तराखण्ड मार्का।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 189/2020 धारा 414 भादवि थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 58/23 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 88/24 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 बिजेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
2. का0 2514 रणजीत सिंह थाना बिहारीगढ सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 03.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ व मिर्जापुर, पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय चरस तस्कर सहित नेपाल, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड व हरियाणा में अवैध चरस तस्करी करने वाले गैंग के 04 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 03 किलो 450 ग्राम अवैध चरस बरामद

बरामदगीः-

- **03 किलो 450 ग्राम अवैध चरस**

- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को 25000/- रुपये का नकद पुरस्कार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 02.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ व थाना मिर्जापुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **एक अन्तर्राष्ट्रीय चरस तस्कर सहित नेपाल,उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड व हरियाणा में चरस तस्करी करने वाले गैंग के 04 शातिर नशा तस्कर 1. सलीम पुत्र हनीफ (चरस तस्करी गैंग का मुख्य सरगना) 2.नवाब पुत्र अब्दुल रहीम 3.रसालु पुत्र मजीद निवासीगण ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर व 4.लियाकत पुत्र नूर निवासी ग्राम टोली थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को ग्राम कोठडी बहलोलपुर के निकट धौला कुँआ चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। **जिनके कब्जे से कुल 03 किलो 450 ग्राम नाजायज चरस बरामद हुई** । **उपरोक्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार इनकी गतिविधियों की निगरानी की जा रही थी**। **पूर्व में उपरोक्त गैंग के अन्य सदस्य जनपद सहारनपुर के थाना नानौता,मिर्जापुर व चिलकाना से चरस तस्करी के मामले में जेल जा चुके हैं**। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 87/24 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हम कम पढे लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं। जिसके कारण हमें अक्सर पैसो की कमी रहती है व हम सभी नशा करने के भी आदि हैं। अपनी रोजमर्रा की जरुरतों व नशे की लत को पूरा करने के लिये हम सभी अवैध चरस भारी मात्रा में नेपाल से तस्करी कर उत्तर प्रदेश,हरियाणा,उत्तराखण्ड राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में चरस को अधिक कीमत में बेच देते हैं जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है। बाद में मुनाफे को आपस में बराबर - बराबर बाँट लेते है। कल जब हम सभी चरस लेकर

देहरादून बेचने जा रहे थे तभी पुलिस टीम द्वारा हमें पकड लिया गया। हम सभी पूर्व में भी चरस तस्करी के अपराध में कई बार जेल जा चुके है ।अभियुक्त सलीम ने बताया कि **कुछ माह पूर्व हमारा माल जनपद महाराजगंज उत्तर प्रदेश में एनसीबी की टीम द्वारा पकड लिया था** जिसके मुकदमे में मै फरार चल रहा हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों के नाम व पता –

1. सलीम पुत्र हनीफ निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. लियाकत पुत्र नूर निवासी ग्राम टोली थाना बेहट जिला सहारनपुर।
3. नवाब पुत्र अब्दुल रहीम निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. रसालु पुत्र मजीद निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- अभियुक्त सलीम से 1 किलो 100 ग्राम चरस
- अभियुक्त लियाकत से 800 ग्राम चरस
- अभियुक्त नवाब से 800 ग्राम चरस
- अभियुक्त रसालु से 750 ग्राम चरस

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.गिरफ्तार अभियुक्त सलीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 113/24 धारा 8/20/29 NDPS Act थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 219/17 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 8/24 धारा 8/20/23/25/29 NDPS Act NCBजनपद लखनऊ
4. मु0अ0सं0 79/20 धारा 8/20 NDPS Act थाना लाडवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा
5. मु0अ0सं0 87/24 धारा 8/20/29 NDPS Act थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

2.गिरफ्तार अभियुक्त लियाकत उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 8/24 धारा 8/20/23/25/29 NDPS Act NCB लखनऊ
2. मु0अ0सं0 87/24 धारा 8/20/29 NDPS Act थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

3.गिरफ्तार अभियुक्त नवाब उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 327/19 धारा 8/20 NDPS Act थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 113/24 धारा 8/20/29 NDPS Act थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 87/24 धारा 8/20/29 NDPS Act थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

4.गिरफ्तार अभियुक्त रसालु उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 295/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 87/24 धारा 8/20/29 NDPS Act थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 61/22 धारा 8/20 NDPS Act थाना मिर्जापुर जनपद सहरनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. थाना प्रभारी श्री मनोज कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री विनित चौधरी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री नरेश सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
6. है0का0 धीरेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
7. का0 2331 लवलेश राठी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
8. का0 1557 गौरव कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
9. का0 2014 राहुल कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
10. का0 दानवीर सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

दिनांक- 03.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 01 वर्ष कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः -

अवगत कराना है, कि दिनांक 27.09.2018 को वादी उनि0 प्रमोद कुमार थाना नकुड द्वारा अभियुक्त 1-अरशद पुत्र सलामूदीन नि0 चाऊ सहसपुर थाना नकुड 2-रब्बान पुत्र महबूब नि0 घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर के कब्जे से 05-5 ग्राम अवैध स्मैक बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0-447/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 900/2020 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 03.6.2024 को अभियुक्त **1-अरशद पुत्र सलामूदीन 2-रब्बान पुत्र महबूब को मु0अ0स0-447/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष का कारावास व 10 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) अमित त्यागी
विवेचक रिटायर्ड उनि0 देवेन्द्र सिंह
पैरोकार हे0का0 मैनीपाल थाना नकुड सहारनपुर।